न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2005/2396/अलवर

दुर्गाप्रसाद पुत्र नत्थीलाल, जाति कोली निवासी ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर।

......अपीलान्ट

बनाम

1- मु. लल्ली पुत्री लक्ष्मण, जाति कोली निवासी ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर।
2- मु. मंगली बेवा गिर्राज (मृतक) जरिये वारिसान :-
 2/1- श्रीमती मायादेवी पुत्री मंगली पत्नी मनोहरी, जाति कोली निवासी ग्राम पाखर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
 2/2- श्रीमती सन्ता देवी पुत्री मंगली पत्नी शिवलहरी जाति कोली निवासी ग्राम कोट तहसील महुवा जिला दौसा।
3- ग्राम पंचायत टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर।
4- तहसीलदार कम उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर।
5- गीला पुत्र लक्ष्मण गिर्राज (मृतक) जरिये वारिसान :-
 5/1- रेशम पत्नि गीला उर्फ रामजीलाल
 5/2- प्रहलाद पुत्र गीला उर्फ रामजीलाल
 5/3- भरतलाल पुत्र गीला उर्फ रामजीलाल
 5/4- शीला पुत्री गीला उर्फ रामजीलाल
 5/5- सुनीता पुत्री गीला उर्फ रामजीलाल
 समस्त जाति कोली निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर।

......रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः
श्री अयूब खां, अभिभाषक अपीलान्ट
श्रीमति ज्योति पारीक, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

दिनांक : 06-2-2020

निर्णय

1- यह अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3-5-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 मु. लल्ली द्वारा एक वाद बाबत इस्तकरारहक एवं हुक्म इम्तनाईद्वामी अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, कठूमर के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण/ अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टस के प्रस्तुत किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर-477 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर वादिया मु. लल्ली एवं प्रतिवादी संख्या-1 मु. मंगली व प्रतिवादी संख्या-2 गीला एक ही परिवार के सदस्य हैं विवादित आराजी मृतक लक्ष्मण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है भजनी निःसंतान बिला औरत फौत हो चुका है। अन्त में वादिया ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा को दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादिनी संख्या-1 मंगली बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आयी, जिसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या-2 (गीला) ने इकबाल जवाबदावा पेश कर दावा वादिनी डिक्री करने की प्रार्थना की तथा प्रतिवादी संख्या-3 दुर्गाप्रसाद अपीलान्ट ने अपना जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादिया ने तमाम तथ्य गलत एवं मनघड़न्त आधार पर दर्ज कर दावा पेश किया है। भजनी मृतक लक्ष्मण के कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में उभयपक्षें की बहस सुनने के पश्चात वाद वादिया दिनांक 5-1-2004 को डिक्री फरमा दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसको उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3-5-2005 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधि विरूद्ध, दोष युक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि भजनी मृतक लक्ष्मण के कोई लड़का पैदा नहीं हुआ आराजी मुतनाजा में वादीनी का 1/3 हिस्सा नहीं है बल्कि 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 मु. मंगली 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-2 गीला का है। प्रतिवादी संख्या-1 मु. मंगली द्वारा अपना 1/2 हिस्सा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17-4-1997 को बेचान कर दिया है तथा कब्जा मौके पर 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट को संभला दिया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट विवादित भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज है। उनका यह भी कथन है कि जब एक सहकाश्तकार अपने हिस्से से अधिक हिस्से का बयनामा तीसरे व्यक्ति को कर देता है तो फिर ऐसा दस्तावेज वोईडेबल दस्तावेज की श्रेणी में आता है जिसके बाबत क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान दस्तावेज को वाइण्ड मानकर अपने क्षेत्राधिकार में मानकर जो निर्णय पारित किये हैं वह प्रथम दृष्टि में ही निरस्त करने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 3-5-2005 एवं 5-1-2004 निरस्त किये जाने योग्य है।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स ने इस पर सहमति प्रदान की कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 477 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा पर अपीलार्थी को 1/3, अप्रार्थी संख्या-1 को 1/3 व अप्रार्थी संख्या-5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7- पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रदर्श-2 जमाबन्दी संवत 2011 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-264 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा पर लक्ष्मण पुत्र लोका कोली साकिन देह गैर मौरूसी साल 69 दर्ज है। लक्ष्मण की मृत्यु के उपरान्त उसके तीन पुत्र गिर्राज, गीला व भजनी तथा एक पुत्री मु. लल्ली विधिक वारिसान थे। इनमें से भजनी लाऔलाद विला औरत फौत हो गया तो केवल तीन विधिक वारिसान शेष रहे। इसमें भी गिर्राज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी मु. मंगला तथा अन्य वारिस गीला व मु. लल्ली वारिसान थे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार नामान्तरकरण भी इन तीनों के नाम खुलना चाहिये था लेकिन अतिरिक्त तहसीलदार, कठूमर के आदेश दिनांक 27-7-1996 के अनुसार विवादित भूमि का 1/2 हिस्से की उत्तराधिकारी मु. मंगली बेवा गिर्राज तथा 1/2 हिस्सा का उत्तराधिकारी गीला पुत्र लक्ष्मण के नाम नामान्तरकरण खोलने का आदेश प्रदान कर दिया। इस आदेश में मु. लल्ली पुत्री लक्ष्मण का हिस्सा छोड़कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित था।

8- प्रदर्श-1 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-264 से हाल खसरा नम्बर-477 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा बना। प्रदर्श-4 जमाबन्दी संवत 2049 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-477 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा पर मंगली बेवा गिर्राज 1/3, गीला, भजनी पुत्रान लक्ष्मण कोली हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार दर्ज है। उक्त अंकन के पश्चात अतिरिक्त तहसीलदार, कठूमर के आदेश से भजनी की मृत्यु पर उसका हिस्सा केवल मु. मंगली बेवा गिर्राज व गीला पुत्र लक्ष्मण के नाम करना गलत था। इस भूमि में मु. लल्ली पुत्री लक्ष्मण का हिस्सा

छोड़ दिया गया जबकि उक्त सभी व्यक्ति 1/3, 1/3 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाने चाहिये।

9- इस प्रकार उपर्युक्त राजस्व रिकार्ड से यह भली-भांति सिद्ध है कि अप्रार्थी संख्या-1, 2 व 5 प्रत्येक 1/3, 1/3 हिस्से के खातेदार हैं। मु. मंगली ने अपना हिस्सा 1/3 के बजाय 1/2 हिस्सा अपीलर्थी को जरिये रजिस्ट्रीकृत बैनामा बेचान कर दिया था वह विधि के विपरीत था। मु. मंगली केवल 1/3 हिस्से का बेचान करने के लिये ही अधिकृत थी इसलिये अपीलार्थी मु. मंगली के हिस्से 1/3 तक ही दावेदारी कर सकते हैं।

10- अतः सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हमारा विनम्र मत है कि आराजी खसरा नम्बर-477 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा पर अपीलार्थी दुर्गाप्रसाद पुत्र नत्थीलाल 1/3 हिस्से का, अप्रार्थी संख्या-1 मु. लल्ली पुत्री लक्ष्मण 1/3 हिस्से की एवं अप्रार्थी संख्या-5 गीला पुत्र लक्ष्मण के वारिस क्रम संख्या-5/1 से 5/5 तक 1/3 हिस्से के अधिकारी हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 3-5-2005 एवं 5-1-2004 अपास्त किये जाते हैं तथा अपीलार्थी संख्या-1 दुर्गाप्रसाद, अप्रार्थी संख्या-1 मु. लल्ली पुत्री लक्ष्मण व अप्रार्थी संख्या-5 गीला पुत्र लक्ष्मण के वारिसान को उपर्युक्त प्रकार से प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य